



आई.एस.बी.एन. विवाद

संदर्भ

29 मार्च, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में आई.एस.बी.एन. (इंटरनेशनल एजेंसी) ने गहरा छेभ प्रकट करते हुए बताया है कि सूत्रों के अनुसार मल्लि जानकारी के मुताबकि उसके पास भारत में आई.एस.बी.एन. के आवंटन के संबंध में बहुत सी शिकायतें आई हैं, जो सामान्य स्तर से कहीं अधिक हैं। तथापि, पत्र में स्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त नंबरों के आवंटन में व्याप्त लालफीताशाही व सरकारी संसरशपि के भय के कारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशकों को आई.एस.बी.एन. के आवंटन के अधिकार भी छीने जा सकते हैं।

मुख्य समस्या क्या है ?

- वस्तुतः एजेंसी द्वारा दी गई इस प्रतिक्रिया का आधार भारत से प्रकाशकों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतें हैं। अतः आई.एस.बी.एन. आवंटन में व्याप्त अनियमितता के आलोक में एजेंसी ने उक्त प्रतिक्रिया दी है।
- गौरतलब है कि भारत में आई.एस.बी.एन. आवंटन का अधिकार राजा राममोहन रॉय आई.एस.बी.एन. एजेंसी के पास है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसके लिये प्रकाशकों को सामान्यतः लम्बी मंत्रालयी प्रक्रियाओं व लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है। इससे वशिषकर छोटे प्रकाशकों के वाणजियिक व कानूनी हति नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

क्या है आई.एस.बी.एन. ?

- यह एक 13 डिजिट वाली एक अनूठी कोड/संख्या है, जो सामान्यतः पुस्तक के पछिले कवर पर बार-कोड के ऊपर अंकित होती है।
- मूलतः यह कोड पुस्तक के प्रकाशन के लिये अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि यह एक उत्पाद पहचानकर्ता के रूप में उपयोग होता है जो प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तकालयों, इंटरनेट खुदरा विक्रेताओं और अन्य आपूर्ति शृंखला प्रतभागियों द्वारा आदेश (order), लसि्टगि, विक्रय रिकॉर्ड (sale record) और स्टॉक नियंत्रण (stock control) के उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है।
- आई.एस.बी.एन. रजिस्टर्ड प्रकाशक के साथ-साथ वशिषिट शीर्षक (specipic title), संस्करण (edition) और फॉर्म (form) की पहचान करता है।

कानूनी स्थिति

- आधार संख्या की तरह यह भी ऐच्छिक (voluntary) है न कि बाध्यकारी (mandatory)। एक प्रकाशक इसके बिना भी प्रकाशन कार्य कर सकता है।
- आई.एस.बी.एन. सरिफ एक पहचानकर्ता संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह किसी भी प्रकार से कॉपीराइट व कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं होता। हालाँकि, कुछ देशों में प्रकाशनों की पहचान करने हेतु आई.एस.बी.एन. का उपयोग कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।

आई.एस.बी.एन. के लिये कौन आवेदन कर सकता है?

- यह हमेशा पुस्तक का प्रकाशक होता है जसिे आई.एस.बी.एन. के लिये आवेदन करना चाहिये।
- आई.एस.बी.एन. के प्रयोजनों के लिये प्रकाशक समूह, संगठन, कंपनी या व्यक्तीयोग्य हैं जो एक प्रकाशन के उत्पादन की शुरुआत करने के लिये ज़मिेदार हैं।
- यह आम तौर पर प्रटिर नहीं होगा, लेकनि पुस्तक का लेखक हो सकता है। यदि लेखक ने स्वयं को अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिये चुना है।

वर्तमान भारतीय संदर्भ

- भारत में पछिले वर्ष सरकार ने आई.एस.बी.एन. के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
- परणामस्वरूप प्रकाशन जगत इस पर चर्चा जताते हुए भारत में प्रकाशन की घटती संख्या को संदर्भित करते हैं। इनकी शिकायत का मूल आधार भारत के प्रकाशन उद्योग में बढ़ता सरकारी प्रभाव है जसिका परणाम संसरशपि भी हो सकता है।

नषिकरष

मूलतः एजेंसी का पक्ष यह है कि इस संस्था की प्रकृत पूरणतयः वर्गीकृत है न कि नियामकीय, इसीलिये यदि चुनाव का प्रश्न हो भी तो इसका नरिणय न्यायालय के अंतर्गत होना चाहिये। अतः सरकार को इस प्रक्रिया से दूरी बना कर रखनी चाहिये, ताकि उद्योग जगत व उपभोक्ता दोनों के हतियों की रक्षा की

जा सके।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/isbn-controversy>